सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 जेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 237 राँची, शुक्रवार, 5 जून, 2020 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

संकल्प

3 मई, 2018

विषयः- 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री/ मंत्री की निजी स्थापना में पदस्थापित वाहय कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में दिनांक 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से संशोधन की स्वीकृति।

संख्या- सी0एस0-01/वा0 को0 (वे0 पुन0)-01/2017-470--राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-217/F, दिनांक 18.01.2017 के माध्यम से राज्य के कर्मियों का केन्द्र सरकार में कार्यरत कर्मियों के 7वें वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वेतन एवं भत्तों को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री/ मंत्री की निजी स्थापना में पदस्थापित वाहय कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन, भत्ता का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक समझा गया।

2. छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं मंत्री की निजी स्थापना में पदस्थापित वाहय कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों तथा कर्मियों को राज्य के पदाधिकारियों को अनुमानित मूलकोटि के वेतनमान का प्रथम प्रक्रम का (नियत) वेतन तथा उस पर राज्य कर्मियों के अनुरूप अन्य भत्ते दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पदाधिकारियों को अधिकतम रु0 7,000/- (सात हजार) का मोबाईल फोन

सेट जिसमें रु0 1,000/- (एक हजार) मात्र प्रतिमाह तक की व्यय करने की सुविधा तथा एक-एक आदेशपाल की सुविधा अनुमान्य रही है।

3. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या-सी0एस0-01/आ॰स॰-02/2010-1277, दिनांक 30.09.2013 के आलोक में मुख्यमंत्री के निजी स्थापना में वाह्य कोटा के पदाधिकारियों यथा- मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार/ मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार एवं वरीय आप्त सचिव के वेतनमान को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि "उक्त वेतन का संशोधन वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्य अवधि तक ही प्रभावी रहेगा तथा इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा। "। किन्तु प्रशासनिक दृष्टिकोण से उक्त प्रावधान में संशोधन करने की आवश्यकता राज्य में नई एवं वर्तमान सरकार के गठन की तिथि के प्रभाव से करने की अपरिहार्यता महसूस की गई है।

4. अतएव राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य कर्मियों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री/ मंत्रीगण की निजी स्थापना में पदस्थापित वाह्य कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में दिनांक 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है –

(i)

क्र॰	**पदनाम**	**अपुनरीक्षित वेतनमान**	**नियत वेतन**	**01.01.16 को प्राप्त अ0पु0 वेतन वेतन+मं0 भत्ता**	**01.01.2016 को पुनरीक्षित नियत वेतन प्रस्तावित**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6
1	***मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार दिनांक 10-07-2017 तक***	*S-30-67,000-79,000*	*67,000*	*1,50,750*	*172200*
2	***मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार***	*37,400-67,000 G.P-10,000*	*53,000*	*1,19,250*	*144200*
3	***मुख्यमंत्री के सलाहकार***	*37,400-67,000 G.P-10,000*	*53,000*	*1,19,250*	*144200*
4	**मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव**	*37,400-67,000 G.P-8,700*	*46,100*	*1,03,725*	*118500*
5	**पूर्व मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव**	*37,400-67,000 G.P-8,700*	*46,100*	*1,03,725*	*118500*
6	**मुख्यमंत्री/मंत्रीगण के आप्त सचिव**	*9,300-34,800 GP-5400*	*20,280*	*45,630*	*53100*
7	**मुख्यमंत्री के निजी सहायक**	*9,300-34,800 GP-4600*	*17,140*	*38,565*	*44900*

8	**दिनचर्या लिपिक**	*5,200-20,200 GP-2400*	*9,910*	*22,298*	*25500*
9	**चालक**	*5,200-20,200 GP-1900*	*7,730*	*17,393*	*19900*
10	**रसोईया**	*5,200-20,200 GP-1900*	*7,730*	*17,393*	*19900*
11	**आदेशपाल**	*4,440-7,440 GP-1300*	*6,050*	*13,613*	*18000*
12	**सफाईकर्मचारी**	*4,440-7,440 GP-1650*	*6,090*	*12,972*	*राज्य सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए वित्त विभाग द्वारा समय समय पर यथा संशोधित दर।*
13	**माली**	*ठेका पर न्यूनतम मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जायेगा।*			
14	**रात्रिपहरी**				

(ii) उक्त पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को राज्य कर्मियों के अनुरूप महंगाई भत्ता, आवास भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता की सुविधा अनुमान्य होगी ।

(iii) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या- सी०एस०-01/ आ०स०-02/ 2010-1277, दिनांक 30.09.2013 की कंडिका-5 को राज्य में नई सरकार एवं वर्तमान सरकार के गठन की तिथि के प्रभाव से विलोपित किया जाता है। उक्त संकल्प के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० जी० रहाटे
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 237 -- 50